न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 65/2025

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –
1. कैलाश कुमार जैन पुत्र चम्पालाल जाति जैन निवासी 12 हमीरपुरा बाडमेर (मैसर्स कैलाश सेल्स कॉरपोरेशन, कैलाश कुमार/प्लॉट नं. 01, सी/ओ, सुशीला देवी चम्पालाल जैन 254 रिको एरिया बाडमेर का मालिक)
2. आलोक कुमार सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी लोदीयाधटा, गोण्डा, उतरप्रदेश, 271123 (मैसर्स इण्डोडेन एन्टरप्रोइजेज प्रा.लि., प्लाट नं. 2181, फेज 2, सेक्टर 38, राई इन्डस्ट्रीय, एरिया सोनीपत, हरियाणा 131001 का निर्माताकर्ता)
3. मैसर्स इण्डोडेन एन्टरप्रोइजेज प्रा.लि., प्लाट नं. 2181, फेज 2, सेक्टर 38, राई इन्डस्ट्रीय, एरिया सोनीपत, हरियाणा 131001

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र शर्मा उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 23.12.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थीगण संख्या 1 की फर्म

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

मैसर्स कैलाश सेल्स कॉरपोरेशन, कैलाश कुमार/प्लॉट नं. 01, सी/ओ, सुशीला देवी चम्पालाल जैन 254 रिको एरिया बाडमेर पर निरीक्षण दिनांक **14.10.2024** को खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड इण्डाना** के कुल 2776.50 लीटर घी पाया गया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **घी ब्राण्ड इण्डाना** में से 900 एमएल के 04 मूल पैक वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2730** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। **खाद्य नमूनीकरण के पश्चात शेष बचे विभिन्न साइजों के घी ब्राण्ड इण्डाना को नियमानुसार सील सीज कर खाद्य कारोबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में सौंपा गया।** उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड इण्डाना** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड इण्डाना** का नमूना **अवमानक** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा सैम्पल की द्वितीय जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला में करवाने का प्रार्थना–पत्र किया। इस पर उक्त नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को भिजवाया गया जिसमें जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक **18.03.2025** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिकृत प्रतिनिधिगण उपस्थित। अधिकृत प्रतिनिधिगण ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बरवक्त नमूना कार्यवाही नियमानुसार प्रार्थीगण को निर्धारित धारा 47 एफ.एस.एस.एक्ट के प्रावधानों के तहत सूचित नहीं किया गया था। प्रार्थीगण के पास नमूने के चौथे भाग को अधिसूचित लैबोरेटरी से जांच करवाने का अधिकार है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर बनाये गए कागज फॉर्म नम्बर 5 अ तथा फर्द रिपोर्ट में यह नहीं लिखा है कि प्रार्थीगण को नमूने के चौथे भाग की अधिसूचित लैबोरेटरी से जांच करवाने का अधिकार बाबत् सूचित कर दिया हो और प्रार्थीगण ने नमूने के चौथे भाग की अधिसूचित लैबोरेटरी से जांच करवाने बाबत् मना कर दिया हो। इस कारण से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा धारा 47 एफ.एस.एस.एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, जिसके कारण प्रार्थीगण नमूने के चौथे भाग की जांच अधिसूचित लैबोरेटरी से करवाने के अधिकार से वंचित हो गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

लिहाजा अप्रार्थीगण को दोषमुक्त करते हुए उनके विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण खारिज की जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **18.03.2025** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। निर्दिष्ट प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट अनुसार **dodecanoic acid (Lauric acid)** का मानक स्तर 1.5-4 के मुकाबले **5.89** पाया गया है, **cis-9-dexadecenoic acid (Palmitoleic acid)** का मानक स्तर 0.9-2.8 के मुकाबले **0.71** पाया गया है, **c18:2, cis 9, 12 Octadecadienoic acid (Linolenic acid)** का मानक स्तर 0.5-3.5 के मुकाबले **4.0** पाया गया है, **C18:3, cis9,12,15- Octadecatrienoic acid (Alpha Linolenic acid)** का मानक स्तर 0.3-1.0 के मुकाबले **0.24** पाया गया है, जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बरवक्त नमूना कार्यवाही नियमानुसार प्रार्थीगण को निर्धारित धारा 47 एफ.एस.एस.एक्ट के प्रावधानों के तहत सूचित नहीं किया गया था। प्रार्थीगण के पास नमूने के चौथे भाग को अधिसूचित लैबोरेटरी से जांच करवाने का अधिकार है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर बनाये गए कागज फॉर्म नम्बर 5 अ तथा फर्द रिपोर्ट में यह नहीं लिखा है कि प्रार्थीगण को नमूने के चौथे भाग की अधिसूचित लैबोरेटरी से जांच करवाने का अधिकार बाबत् सूचित कर दिया हो और प्रार्थीगण ने नमूने के चौथे भाग की अधिसूचित लैबोरेटरी से जांच करवाने बाबत् मना कर दिया हो। इस कारण से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा धारा 47 एफ.एस.एस.एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, जिसके कारण प्रार्थीगण नमूने के चौथे भाग की जांच अधिसूचित लैबोरेटरी से करवाने के अधिकार से वंचित हो गया। लिहाजा अप्रार्थीगण को दोषमुक्त करते हुए उनके विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण खारिज की जावे। अप्रार्थीगण द्वारा उनके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति अपने दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थीगण की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी
अपर जिला मजिस्ट्रेट

अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से **अप्रार्थी संख्या 01** पर **रूपये 1,50,000/–** एवं **अप्रार्थी संख्या 02 व 03** पर रूपये **2,00,000/–** जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह बाघावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर